HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 389/2025

In

S.B. Criminal Appeal No.483/2025
URN: SOSA / 718U / 2025

Jakir S/o Maqsood, Aged About 20 Years, R/o Fareedpur Police Station Savkari Mohalla Badi Saray Fareedpur District Shanjanpur (Uttar Pradesh) (At Present Confined In Central Jail Alwar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Gaurav Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

21/07/2026

अपीलार्थी/अभियुक्त **जाकिर** की ओर से धारा 430 बी0एन0एस0एस0 के अंतर्गत, विचारण न्यायालय–**विशिष्ठ न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, क्रम संख्या–1, अलवर (राजस्थान)** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या–**59/2024, राजस्थान राज्य** बनाम **जाकिर** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **04.02.2025** के विरूद्ध यह सजा स्थगन/जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी–अभियुक्त का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी गिरफ्तारी की दिनांक 23.05.2024 से लगातार अभिरक्षा में है, उसकी अभिरक्षा अवधि दो वर्ष से अधिक हो चुकी है। उनका यह भी तर्क है कि पीड़िता अपनी मर्जी से अपीलार्थी/अभियुक्त के साथ गई है। उनका यह भी तर्क है कि एफ0एस0एल0/डी0एन0ए0 रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध नहीं रही है, विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं तथ्यों का समग्रता से एवं सही रूप से विवेचन–विश्लेषण नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपील में अपीलार्थी/अभियुक्त के दोषमुक्त होने के सुदृढ़ एवं पर्याप्त आधार विद्यमान हैं, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि पीड़िता की जन्म दिनांक 27.07.2007 है, पीड़िता अवयस्क है। पीड़िता द्वारा अंतर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 प्रदर्श पी–4 के बयान तथा विचारण के दौरान पी0डब्ल्यू–1 के रूप में परीक्षित होकर दोनों ही जगह अपने बयानों में अभियुक्त के विरूद्ध स्पष्ट तौर पर यह बताया है कि अभियुक्त के द्वारा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया है। अभियुक्त/अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित अपराध की प्रकृति गंभीर है, अतः सजा स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

परिवादी पक्ष बावजूद तामील उपस्थित नहीं है।

हमने उभय पक्ष के तर्कों–वितर्कों पर मनन किया, पीड़िता के धारा 164 द0प्र0सं0 के कथनों, विचारण के दौरान पी0डब्ल्यू–1 के रूप में लेखबद्ध बयान, अन्य साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। पीड़िता के बयानों पर विचार किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की साक्ष्य की प्रकृति, प्रकरण के तथ्यों, समस्त परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई

टिप्पणी किए बिना अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः अपीलार्थी–अभियुक्त **जाकिर पुत्र श्री मकसूद** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 430 बी0एन0एस0एस0 निरस्त किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MANOJ ADWANI/37